REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257554 CG-DL-E-27092024-257554

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3890] No. 3890]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

का.आ. 4248(अ).—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की, संख्या का.आ.संख्यांक 3745 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2023

द्वारा जारी, अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

 (i) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थातु: -

> "33क. सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार।

33ख. आयुक्त सह सचिव, कौशल, श्रम, रोजगार और उद्यमशीलता, मणिपुर सरकार।"

(ii) क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

- "39. श्री श्रीधर राजगोपालन, "भारतीय नियोक्ता संघ के कार्यकारी समिति सदस्य और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी- ग्लोबल-एचआर-ऑटोमोटिव रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड; चेन्नई (तमिलनाडु)]";
- (iii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

"41. श्री माइकेल डायस,

सचिव, नियोक्ता संघ, दिल्ली फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज 54, कैलाश कुंज अपार्टमेंट्स, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048|";

- (iv) क्रम संख्या 52 में, प्रविष्टि "कांग्रेस" के स्थान पर प्रविष्टि "केन्द्र" रखी जाएगी;
- (v) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:
 - "54. डॉ. सारदा ओटा, सहायक निदेशक या वैज्ञानिक 4 (आयुर्वेद),
 केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान,
 भरतपुर, भुवनेश्वर-751003।";
- (vi) क्रम संख्या 56 और 57 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टिया रखी जाएंगी, अर्थातु:-
 - "56. श्री प्रवीण खंडेलवाल,

सी-89, ग्राउंड फ्लोर, आनंद निकेतन,

मोतीबाग, साउथ वेस्ट दिल्ली-110021|

57. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन,

40 केनिंग लेन, नई दिल्ली-110001|"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

[फा. सं. यू-16012/01/2022-एसएस-I]

रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3745(अ), तारीख 22 अगस्त, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2024

S.O. 4248(E).— In pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, *vide* number S.O. 3745(E), dated the 22^{nd} August, 2023, namely :-

In the said notification,-

(i) after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"33A. Secretary to the Government of Arunachal Pradesh, Department of Labour and Employment, Government of Arunachal Pradesh.

 Commissioner cum Secretary, Skills, Labour, Employment & Entrepreneurship, Government of Manipur.";

(ii) for serial number 39 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

"39. Shri Sridhar Rajagopalan, "Executive Committee Member of the Employers Federation of India & Chief Human Resource Officer -Global-HR-Automotive Robotics Private Limited; Chennai (Tamilnadu);";

(iii) for serial number 41 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

"41. Mr. Michael Dias,

Secretary, The Employers Association, Delhi Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 54, Kailash Kunj Apartments, Greater Kailash -I, New Delhi -110048.";

(iv) in serial number 52, for the entry "Congress" the entry "Centre" shall be substituted;

(v) for serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

 "54. Dr. Sarada ota, Assistant Director or Scientist 4 (Ayurveda), Central Ayurveda Research Institute, Bharatpur, Bhubaneswar-751003.";

(vi) for serial numbers 56 and 57 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"56. Shri Praveen Khandelwal, C-89, Ground Floor, Anand Niketan, Moti Bagh, South West Delhi -110021.

57. Shri N.K. Premachandran,40 Canning Lane, New Delhi-110001."

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. U-16012/01/2022-SS-I] RUPESH KUMAR THAKUR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3745(E), dated the 22nd August, 2023.